"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 फरवरी 2013— माघ 16, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, केपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013

अधिसूचना

फा. क्र. 1044/21-ब/छ. ग./2013.—उच्च न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले विधि अधिकारियों के पारिश्रमिक के संबंध में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में वर्णित विधि अधिकारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कालम (3) में उल्लेखित मासिक पारिश्रमिक (रिटेनर फीस) तथा मुख्यालय से बाहर किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में उपस्थित होने की दशा में कालम (4) में उल्लेखित दैनिक पारिश्रमिक नियत करता है :-

क्र.	पदनाम	पुनरीक्षित पारिश्रमिक	मुख्यालय से बाहर किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में उपस्थित होने की दशा में दैनिक पारिश्रमिक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महाधिवक्ता	रु. 75,000/- (पचहत्तर हजार रु.)	रु. 7,000/- (सात हजार रु.) परंतु एक दिन में एक से अधिक प्रकरणों में कुल राशि रु. 15000/- (पन्द्रह हजार रु.) से अधिक नहीं.
1.	अति. महाधिवक्ता	रु. 60,000/- (साठ हजार रु.)	रु. 1,500/- (एक हजार पांच सौ रु.) परंतु एक दिन में एक से अधिक प्रकरणों में कुल राशि रु. 5000/- (पांच हजार रु.) से अधिक नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	उप महाधिवक्ता	रु. 55,000/- (पचपन हजार रु.)	रु. 1,000/- (एक हजार रु.) परंतु एक दिन में एक से अधिक प्रकरणों में कुल राशि रु. 3000/- (तीन हजार रु.) से अधिक नहीं.
4.	शास. आधिवक्ता	रु. 45,000/- (पैंतालीस हजार रु.)	रु. 700/- (सात सौ रु.) परंतु एक दिन में एक से अधिक प्रकरणों में कुल राशि रु. 2,000/- (दो हजार रु.) से अधिक नहीं.
5.	उप शास. आधिवक्ता	रु. 40,000/- (चालीस हजार रु.)	रु. 500/- (पांच सौ रु.) परंतु एक दिन में एक से अधिक प्रकरणों में कुल राशि रु. 1,000/- (एक हजार रु.) से अधिक नहीं.

इसके अलावा उपरोक्त सभी विधि अधिकारियों को प्रतिमाह 80 लीटर पेट्रोल ईंधन भत्ता की पात्रता रहेगी.

उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद-(3428) महाधिवक्ता 01-वेतन-001-अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

उपरोक्त स्वीकृत वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 23/1004808 वित्त विभाग/ब-3/2013 दि. 4-2-2013 द्वारा प्रदान की गई है. अत: यह प्रशासकीय विभाग इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत महालेखाकार, रायपुर को पृष्ठांकित करता है. यह आदेश दिनांक 5-2-2013 से प्रभावशील होगा।.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.